

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 299]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 30 जून 2020 — आषाढ़ 9, शक 1942

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 29 जून 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 13-09/2020/17-दो. — इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का निषेध (उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भण्डारण और विज्ञापन) अधिनियम, 2019 (2019 का 42), 2019 की धारा 3 के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (दो) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ के अधीन कार्यरत औषधि निरीक्षकों को, सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य हेतु उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये “प्राधिकृत अधिकारी” के रूप में नियुक्त करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निहारिका बारिक सिंह, सचिव.

अटल नगर, दिनांक 29 जून 2020

क्रमांक एफ 13-09/2020/17-दो. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 29-06-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निहारिका बारिक सिंह, सचिव.

Atal Nagar, the 29th June 2020

NOTIFICATION

No. F 13-09/2020/17-Two. — In exercise of the powers conferred by sub-clause (ii) of clause (b) of the Section 3 of the Prohibition of Electronic Cigarettes (Production, Manufacture, Import, Export, Transport, Sale, Distribution, Storage and Advertisement) Act, 2019 (No. 42 of 2019), the State Government. Hereby, appoints the Drug Inspectors working under Controller, Food and Drugs Administration, Chhattisgarh as Authorised Officer for the purpose of the said Act for the whole State of Chhattisgarh.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
NIHARIKA BARIK SINGH, Secretary.